तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इस में
6/11/19.	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनु०। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र अंतर्गत 88.53-188 धारा का सिद्ध नहीं होने से दावा खारिज किया जाता है। विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आदेश किया व डिक्री तैयार कर शामिल की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। 6/11/19	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज॰
(पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस)

वाद संख्या : 103/2011

1. बरजीबाई बेवा सादुल गुर्जर निवासी ईटावा तहसील बेगूँ हाल लुहारिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. गिरधारी पिता सादुल गुर्जर निवासी ईटावा तहसील बेगूँ हाल लुहारिया तहसील बेगूँ
3. सोहनी पिता सादुल गुर्जर पति सुखदेव गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ
4. कमला पिता सादुल पति नाना गुजर निवासी मायरा तहसील चित्तौड़गढ

---------- वादीगण

बनाम

1. लच्छीराम पिता लालू गुर्जर निवासी ईटावा तहसील बेगूँ
2. नब्दु बेवा धन्ना गुर्जर निवासी ईटावा तहसील बेगूँ
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान कलेक्टर साहब चित्तौड़गढ़
4. लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

---------- प्रतिवादीगण

उपस्थित :
एस.के.बीलू
अधिवक्ता वादीगण
एच.सी. शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 06.11.2019

वाद अन्तर्गत धारा 88-53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1- वादपत्र वादीगण का अन्तर्गत धारा 88-53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधिवक्ता श्री एस.के.बीलू द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2- वाद में निम्नलिखित तथ्य है कि मोतीजी व उनके चारो लडके लालू, गोपी, धन्ना, एवं छोगा प्रारम्भ में गावं गोवलिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ के स्थायी निवासी रहे है। धन्ना जी गांव इटावा तहसील बेगूँ में आकर रहने लगे व गांव इटावा में जमीन जायदाद बनाई । जमीन गांव इटावा में निम्न नम्बरान की है, शेष भाई स्थाई तौर पर गांव गोवलिया में ही रहे।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

खतौनी संख्या	आराजी नं0	रकबा हेक्टर में	लगान रू. में	पीवल
21	221नहरी	1.34	24.90	
	224	0.0100	–	
	225	0.0200	– आ.चा.	
	226	0.1100 चाही	2.10	चा.न.225
	229	1.3600 बंजड	2.52	
	230	0.6100 जाव-3चाही	2.10	चा.न. 225
	231	0.8200 नहरी	13.72	
	कुल किता 7	कुल रकबा 4.2700	कुल लगान 52.39	

धन्नाजी के कोई औलाद नही हुई से अपने भाई गोपी के लडके सादलु को बाल्यकाल में जाति रिवाज अनुसार गांव गोवलिया से उसके माता-पिता की सहमति से गोद लाये दोनो पति पत्नी धन्ना व उसकी पत्नी नन्दु ने गोद लिया। सादुल छोटे से बडा भी धन्ना व उसकी औरत नन्दु ने किया । सादुल की शादी धन्ना व नन्दु ने गावं ईटावा के पास गांव लुहारिया में मुझ वादी बरजी के साथ करवाई। शादी बाद में बरजी अपने गोद के ससुर व सास के पास ही गांव ईटावा में रही जहां मेरे गिरधारी, सोहनी एंव कमला लडके-लडकिया हुए। सादुल को जब धन्ना जी के गोद रखा तो धन्ना ने बडवा की पोथी में भी गोद लेने का इन्द्राज करवाया। धन्नाजी ने अपना राशनकार्ड बनाया तो उसमे मुझ सादुल का नाम बतौर पुत्र के व मुझ वादीया बरजी का नाम पुत्रवधु के रूप लिखाया। धन्नाजी की मत्यु बाद जो परिवार राशनकार्ड बना उसमें भी सादुल के पिता का नाम धन्ना अंकित है। रानकार्ड पंचायत द्वारा बाद जांच बनाया जाता है, वार्ड मेम्बर भी इसकी तस्दीक करता है यही नही वोटर लिस्ट विधान सभी की बनी उसमें भी प्रकाशन की तारीख 02.01.1975 में धन्ना के परिवार में मृत सादुल के पिता का नाम धन्ना एंव मुझ वादीया बरजी के पति का नाम इसी वोटर लिस्ट में सादुल बताया गया है। वोटरलिस्ट पर विभिन्न पार्टीयों से एतराजात सुने जाते है तभी सही अंकन किया जाता है। सादुल का व मुझ वादीया का नाम धन्ना व नन्दु के साथ जुडा हुआ है। गांव ईटावा में नाजायज कब्जे की मुझ वादीया के पति के विरुद्ध जो नोटिस दिया उसमें भी तहसील वाले ने सादुल के पिता का नाम धन्ना ही अंकित किया है यही नही सादुल की मत्यु बाद जो मत्यु प्रमाणपत्र जारी किया उसमें सभी मृत सादुल के पिता धन्ना जी गुर्जर ही

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

अंकित किया हुआ है। जब सादुल को धन्नाजी ने गोद ले लिया तो गाव गोवलिया में किसी सरकारी रेकार्ड में नाम अंकित नही हुआ एवं गोपी जी की जमीन से भी मुझ वादिया बरजी के पति एवं शेष वादीगण के पिता सादुल को न जमीन में पाति दी गई और न ही जायदाद में पाति दी गई । गोपीजी की सादुल के अतिरिक्त अन्य संतानों का नाम व पाति रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लच्छीराम धन्नाजी की जायदाद को हडपना चाहता था सो धन्नाजी व उनकी पत्नी नन्दुबाई को षडयंत्रपुर्वक बहला फुसलाकर सादुलजी व मुझ बरजी के बारे भडकाना शुरू कर दिया और अंतिम दिनों में धनना जी को धोखे में रखकर उनकी जायदाद को गलत तौर से वसीयत करवा दी। धन्नाजी पढे लिखे नही थे सो उन्हे बिना जानकारी दिये वसीयत करवा ली यहा तक कि लालूजी गावं गोवलिया छोडकर अन्यत्र की भी वास- नही किया लच्दीराम ने गांव गोवलिया की लालूजी की जमीन भी हथियाली और धन्ना की जमीन भी गलत वसीयत के आधार पर हथ्यिा ली सादुल व उसके परिवार को झगडा कराकर घरसे बाहर निकलवा दिया सेा गांव लोरिया जो पास में है उसमें निवास स्थान बनाया। जब सादुलजी धन्ना जी के गोद रहे थे तो हिन्दु कानून के अनुसार कोपार्टनर बन गया। जमीन में धन्नाजी के बराबर के हकदार बन गये। आधी जमीन जायदार के मालिक धन्नाजी व आधे के सादुल जी हकदार बने। गोद खारिज करवाने की कोई कार्यवाही नही हुई न ही वसीयत मेंू ही इसका कोई जिक्र किया गया है। हमारे गांव व जाति में गोद लेने का रिवाज है कि गोद पुत्र का नाम बडवा की पोथी में लिख कर इसका जिक्र किया जाता है तथा घर पर रखकर शादी विवाह कराना, सरकारी कागजो में भी इसी आधार पर अंकन किया गया कभी किसी ओर से कोई आपत्ति भी नही हुई। सादुल को संवत् 2006 लगते आषाढ में धन्ना व अनकी पत्नी ने गोद लिया व सन् 1986 ई. को झगडा करवाना व बहला फुसलाकर बिना असलियत बताये चुपचाप वसीयत करवा ली जिसका वादीगण को जानकारी नही थी। इन्तकाल भी नियमानुसार नही खोला गया। राजस्व अभियान में सरपंच की मिलीभगत से खुलवा दिया गया इस प्रकार के इन्तकाल खोले जाने का न तो सरंपच को अधिकार है और न ही राजस्व अभियान में ऐसे इंतकाल खोले जा सकते है। दिनांक 01.09.2011 को प्रतिवादी लच्छीराम को आधा हिस्सा मेंरे खाते करवाने व उक्त वर्णित जमीन की आधे खाते रवा अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब का दो बराबर हिस्से में बंट्वारा कर एक हिस्से पर हम वादीगण को कब्जो दिलाने की कही तो वह साफ इन्कार हो गया सो बिनाय वाद पैदा हुई। हम वादीगण मृत सादुल के वारिसान है सो सादुल का आधा हिस्सा बंट्वारे से प्राप्त करने के अधिकारी है। मृत धन्ना केवल अपना आधा हिस्सा ही वसीयत कर सकता था उसे पुरा वसीयत करने का अधिकार नही था। सादुल कोपारर्टनर होने से धन्ना की जायदाद में धन्ना के समान बराबर का हकदार था और अब हम उस हिस्से

सहायक ... (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)

को प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः न्यायालय श्रीमान से निम्न अतुतोष की प्रार्थना करते है कि :

1. उक्त वाद वर्णित भूमि में हम वादीगण का आधा हक हिस्सा होने से खातेदारी आधे हिस्से की होने की घोषणा की जावे।
2. बाद खातेदारी घोषणा के विवादित भूमि का बंटवारा किया जाकर अच्छी में से अच्छी एवं खराब में से खराब का आधा हिस्सा हमें दिलाया जावे।
3. बाद खातेदारी घोषणा एंव बंटवारे बाद हम वादीगण के हक हिस्से में आई भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 न स्वयं और अन्य से कोई दखलअंदाजी करे/ करावे।
4. वाद खर्च व वकील मेहनताना भी दिलाया जावे।
5. अन्य दाद जिसके वादीगण हकदार हो वह दिलाई जावे।

3- प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कि ओर से अधिवक्ता श्री एच.सी. शर्मा द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके प्रमुख तथ्य इस प्रकार है कि धन्ना ने गोपी को कभी भी गोद नही रखा है।वादीगण ने गलत बयान किये है तथा गलतरूप से राशनकार्ड बनाया है। वादिया के पति का नाम भी गलत तरिके से दर्ज कराया गया है। धन्ना ने राजीखुशी मुझ प्रतिवादी के नाम वसीयत करा रजिस्ट्री करायी थी । वसीयत धन्ना ने स्वयं उपतहसील में जाकर वसीयत कराई थी। वसीयत के बाद खोला गया इंतकाल नियमानुसार खोला गया तथा पुर्ण जांच के बाद ही खोला गया था। धन्ना द्वारा अपनी जमीन जायदाद वसीयत कर दिये जाने एवं उक्त भूमि पर कभी भी वादीगण का कब्जा नही रहा होने उक्त भूमि पर वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रतिवादीगण का जवाब स्वीकार फरमाते हुये वाद वादीगण का सव्यय खरिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 कि ओर जवाबदावा प्रस्तुत नही किये जाने से जवाबवाद बब्द किया गया।

4- तत्पश्चात पत्रावली में तनकी पत्र कायम किया गया जो इस प्रकार है-

1. आया कि मोजा इटावा की आराजी संख्या 221, 224, 225, 226, 229, 230, 231/7, किता 7 कुल रकबा 4.2700 हे0 भूमि में आधा हिस्सा वादीगण घोषित करा विभाजन करा पाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है? वादीगण
2. आया कि धन्ना ने उक्त वर्णित आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत हम प्रतिवादीगण के पक्ष मे राजी खुशी कराई है वर्णित आराजी पर वादीगण का कब्जा नही है वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है? प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

5- तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्यवादी मुख्य परीक्षण बाबत वादिया बरजीबाई व गवाह भेरूलाल द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये जाकर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह करते हुये बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर रिब्टल का राईट रिजर्व रखते हुये साक्ष्य वादी बन्द की गई तथा पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 1 लच्छीराम पिता लाला द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किये गये तथा वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह करते हुये बयान लेख बद्ध किये गये एवं गवाह भंवरलाल पिता कजोडी के साक्ष्य प्रस्तुत किए परन्तु न्यायालय में उपस्थित नही आने एवं प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि अब वह जिरह हेतु गवाह उपस्थित नही रखना चाहते पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निवेदन किये जाने से पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई।

6- बहस में उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित आए। बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि धन्नाजी के कोई औलाद नही हुई होने से अपने भाई गोपी के लडके सादुल को बाल्यकाल में जाति रिवाज अनुसार गांव गोवलिया से उसके माता-पिता की सहमति से गोद लाये दोनो पति पत्नी धन्ना व उसकी पत्नी नब्दु ने गोद लिया। जब सादुलजी धन्ना जी के गोद रहे थे तो हिन्दु कानून के अनुसार कोपार्टनर बन गये। जमीन में धन्नाजी के बराबर के हकदार बन गये। आधी जमीन जायदार के मालिक धन्नाजी व आधे के सादुल जी हकदार बने। गोद खारिज करवाने की कोई कार्यवाही नही हुई न ही वसीयत मूें ही इसका कोई जिक्र किया गया है। सादुल जी के धन्ना के गोद जाने का प्रमाणित पत्रावली में प्रस्तुत किये दस्तावेज राशनकार्ड वोटर लिस्ट सम्मन की प्रति इत्यादी करते है। सादुल जी धन्ना जी के कोपार्टनर होने से धन्ना जी को पुरी जमीन वसीयत करने का कोई अधिकार नही था। उक्त वर्णित आधी जमीन पर वादीगण का हक हिस्सा होने से उक्त भूमि में आधा हिस्सा वादीगण अपने नाम खातेदारी हक से घोषित करा, विभाजन करा पाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी होने से, इस आशय की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

7- प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि धन्ना ने गोपी को कभी भी गोद नही रखा है। वादीगण ने गलत तथ्य बताये है, धन्ना ने राजीखुशी मुझ प्रतिवादी के नाम वसीयत करा रजिस्ट्री करायी थी। वसीयत धन्ना ने स्वयं उपतहसील में जाकर वसीयत कराई थी। वसीयत के बाद खोला गया इंतकाल नियमानुसार खोला गया तथा पुर्ण जांच के बाद ही खोला गया था। धन्ना द्वारा अपनी जमीन जायदाद वसीयत कर दिये जाने एवं उक्त भूमि पर कभी भी वादीगण का कब्जा नही रहा होने उक्त भूमि पर वादीगण किसी प्रकार का

सहायक कलेक्टर
(... अधिकारी)
... (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादपत्र वादी का खारिज फरमाया जावे।

8- पत्रावली एवं सम्पूर्ण दस्तावेजा का अध्ययन किया गया। इसी के साथ विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। साथ ही प्रदर्शा किये गये दस्तावेजो का भी अध्ययन किया गया।

9- वाद के सक्षिप्त तथ्य है कि मोती के चार लडके लालू, गोपी, धन्ना, एवं छोगा। धन्नाजी ने गांव ईटावा तहसील बेगूँ में आकर बसे और ईटावा में जमीन जायदाद बनाई। हमने जमाबंदी प्रदर्श -5 संवत् 2063-2066 ग्राम ईटावा, पटवार हल्का ईटावा खाता संख्या 21 श्री धन्ना पिता मोती गुर्जर खसरा नं0 221, 224, 225, 226, 229, 230, 231 कुल किता 7 रकबा 4.27 हे0 के नाम दर्ज थी जिसका नामान्तरण संख्या 155 दिनांक 13.12.2010 से वसीयत से धन्ना की बजाय श्री लच्छीराम पिता लालू गुर्जर के नाम दर्ज हुई । हमने प्रदर्श- 6 नामान्तरण संख्या 155 दिनांक 13.12.2010 स्वीकृति श्री धन्ना पिता मोती गुर्जर सा. देह खातेदार लच्छीराम पिता लालू गुर्जर किता 7 रकबा 4.27 हे0 जिसको वसीयत धन्ना फोत मृ0 दिनांक 08.01.2010 कार्यवाही लेखन मियाद वसीयत पंजीयन दिनांक 01.01.1988 पंजीकृत है, प्रतिपरत चस्पा है। हमने पंजीकृत वसीयत जिसमें धन्ना पिता मोती जाति गुर्जर 70 जिसमें मोजा ईटावा पटवार हल्का दुगार में गैर मनकुला जायदाद की तफसील इस प्रकार है कि आराजी नं0 221, 224, 225, 226, 229, 230, 231 योग किता 7 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा जिसको उन्होने अपने बडे भाई लालू पिता मोती गुर्जर ईटावा का पुत्र लच्छीराम पिता लालू गुर्जर निवासी ईटावा के हक में वसीयत कर दी। इसी वसीयत के आधार पर नामान्तरण संख्या 155 दिनांक 13.12.2010 जिसमें धन्ना पिता मोती गुर्जर से लच्छीराम पिता लालू गुर्जर के नाम दर्ज हुई।

10- हमने सम्पूर्ण दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं साक्ष्यवादी व प्रतिवादी साक्ष्य शपथपत्र व बयानों का अध्ययन किया।

11- सम्पूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन करने के वाद तथ्य यह है कि धन्नाजी ने गांव ईटावा की जमीन जायदाद उनकी पेतृक संपत्ति है या निजी स्वामित्व की है। अतः वादी द्वारा यह बताया गया कि यह धन्नाजी ने अपने गांव गोवलिया से ईटावा तहसील बेगूँ में आकर रहने लगें व गांव ईटावा में जमीन जायदाद बनाई। अतः धन्नाजी की निजी स्वामित्व वाली भूमि को उन्होने जरिये रजिस्टर्ड वसियत लच्छीराम पिता मोती के कर दी। उसी रजिसटर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरण संख्या 455 दिनांक 13.12.2000 केतहत लच्छीराम का नाम जमाबंदी में दर्ज हुआ। अतः जब तक यह वसीयत गलत तरिके से हुई ही तो सक्षम न्यायालय में उस वसीयत को निरस्त करवाने की कार्यवाही करावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

अतः तनकीवार निर्णय निम्न है-

12- 'ए' इस तनकी को सिद्ध करने का भी वादी का है। मोजा ईटावा आराजी संख्या 221, 224, 225, 226, 229, 230, 231 कुल किता 7 कुल रकबा 4.2700 हे0 भूमि में आधा हिस्सा वादीगण घोषित करा व विभाजन कराने के अधिकारी है। चुकि सम्पूर्ण दस्तावेजो के आधार पर कही यह प्रमाणित नही होता है कि उक्त भूमि उनकी पेतृक सम्पत्ति है। विभिन्न दस्तावेजों व बयानो के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यह भूमि धन्ना पिता मोती के निजी स्वामित्व की भूमि है। निजी स्वामित्व की भूमि को धन्ना पिता मोती द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा इसको लच्छीराम पिता लालू गुर्जर के नाम कर दी। इसी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरण संख्या 155 द्वारा प्रतिवादी लच्छीराम का नाम जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड होकर खातेदार दर्ज हुआ। वादी द्वारा बताया गया कि यह वसीयत गलत हुई है चुकि कोई दस्तावेज पंजीयन होने के वाद सक्षम न्यायालय में उसको निरस्त करवाने की कार्यवाही वादीया द्वारा नही की गई। अतः वादीगण आधा हिस्सा घोषित कराने का अधिकारी नही है। यह तनकी विरुद्ध वादीगण प्रतिवादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

12- 'बी' इस तनकी को सि0 करने का भार प्रतिवादी का है। धन्ना पिता मोती द्वारा मोजा ईटावा की आराजी संख्या 221, 224, 225, 226, 229, 230, 231 कुल किता 7 कुल रकबा 4.2700 हे0 जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा द्वारा अपना हिस्सा लच्छीराम पिता लालू गुर्जर के नाम कर दी गई। हमने उप पंजीयक कार्यालय पारसोली द्वारा वसीयत की गई वसीयतनामा का अध्ययन किया जिसमें धन्ना पिता मोती जाति गुर्जर उम्र 70 पेश काश्त साकिन ईटावा पटवार हल्का दुगार उपतहसील पारसोली द्वारा ईटावा की आराजी संख्या 221, 224, 225, 226, 229, 230, 231 कुल किता 7 कुल रकबा 4.2700 हे0 मेरे बडे भाई लालू पिता मोती गुर्जर ईटावा के पुत्र लच्छीराम पिता लालू गुर्जर को कर दी। चुकि उक्त भूमि धन्ना की निजी स्वामित्व की भूमि है। अतः उनके अनुसार यह वसीयत गलत है तो उनको सक्षम न्यायलय में उस वसीयत को निरस्त करवाने की कार्यवाही करानी चाहिए थी जो कि वादिया द्वारा नही करायी गई। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

अतः वादीगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13- <u>निर्णय</u>

वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दावा बाबत् खातेदारी घोषणा, बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा दस्तावेजों के आधार पर सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज॰
(पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस)

वाद संख्या : 103/2011

1. बरजीबाई बेवा सादुल गुर्जर निवासी ईटावा तहसील बेगूँ हाल लुहारिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. गिरधारी पिता सादुल गुर्जर निवासी ईटावा तहसील बेगूँ हाल लुहारिया तहसील बेगूँ
3. सोहनी पिता सादुल गुर्जर पति सुखदेव गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ
4. कमला पिता सादुल पति नाना गुजर निवासी मायरा तहसील चित्तौड़गढ

---------- वादीगण

बनाम

1. लच्छीराम पिता लालू गुर्जर निवासी ईटावा तहसील बेगूँ
2. नन्दु बेवा धन्ना गुर्जर निवासी ईटावा तहसील बेगूँ
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान कलेक्टर साहब चित्तौड़गढ़
4. लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

---------- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लिए वादीगण कि ओर से अभिभाषक श्री एस.के.बीलू एवं प्रतिवादीगण कि ओर से अभिभाषक श्री एच.सी. शर्मा की उपस्थिति में आज दिनांक 06.11.2019 को पीठासीन अधिकारी श्री रमेश सीरवी पुनाडिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (आर.ए.एस.) बेगूँ के समक्ष यह वादपत्र अंतिम निस्तारण हेतु प्रस्तुत होने पर यह आदेश दिया जाता है तथा वादपत्र में अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि :-

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दावा बाबत् खातेदारी घोषणा, बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा दस्तावेजों के आधार पर सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

6/11/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज॰

Scanned by CamScanner